राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ.28( )पंरावि/प्रशा–2/परासंघ/II पार्ट/05/1847 जयपुर,दिनांक :– 28/6

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त ।

2– विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त ।

विषय :– विशेष प्रकोष्ठ बैठकों के आयोजन बाबत् ।

प्रसंग :– विभागीय परिपत्र क्रमांक 3263 दि0 1.10.10 एवं पत्र क्रमांक 3081 दिनांक 9.12.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा ग्राम सेवकों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरणार्थ पंचायती राज विभाग, जिला परिषद एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर विशेष प्रकोष्ठ बैठकों के आयोजन के निर्देश जारी किये गये थे । जिसके अनुसार पंचायती राज विभाग (मुख्यालय) स्तर पर प्रत्येक माह की 25 तारीख, जिला परिषद स्तर पर माह जनवरी, अप्रेल, जुलाई एवं अक्टूबर की 23 तारीख एवं पंचायत समिति स्तर पर माह जनवरी,मार्च,मई,जुलाई,सितम्बर व नवम्बर की 15 तारीख को बैठक आयोजित किये जाने एवं उक्त नियत दिवस को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस को बैठक रखी जाने हेतु निर्देश है ।

राजस्थान ग्राम सेवक संघ (पंजी.) जयपुर द्वारा अवगत कराया है कि विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के बावजूद जिला परिषद एवं पंचायत समितियों द्वारा जान बूझकर ग्राम सेवकों की जिलास्तरीय समस्याओं के निराकरणार्थ निर्धारित तिथियों को आयोजित होने वाली प्रकोष्ठ बैठकें आयोजित नहीं की जा रही है ।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सेवकों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरणार्थ जारी उक्त विभागीय निर्देशों की कठोरता से पालना कराया जाना सुनिश्चित करें ।

शासन उप सचिव (प्रशा–2)

प्रतिलिपि :–

– अध्यक्ष, राजस्थान ग्राम सेवक संघ (पंजी.) जयपुर, कार्यालय ई–10/84 चित्रकुट योजना, अजमेर रोड, जयपुर ।